केनरा बैंक Canara Bank

परिसर व संपदा अनुभाग, अंचल कार्यालय, पी पी कम्पाउन्ड, कौशल्या चैम्बर्स, रॉची,झारखण्ड

केनरा बैंक को राँची झारखंड अंचल शाखाओं हेतु परिसर की आवश्यकता

केनरा बैंक को अपने अंचल में शाखाएं खोलने हेतु **बरही, बरकागॉव(हजारीबाग), जैनामोड(बोकारो),टमोलिया(प सिंहभूम),डालटेनगंज,सोनारी(जमशेदपुर) और बरियातु(राँची)**में कारपेट परिसर की आवश्यकता है (**भूतल** को प्राथमिकता दी जाएगी) ।

इस हेतु बैंक की शर्ते निम्नलिखित है ।

1. किराया कारपेट एरिया पर दिया जाएगा ।
2. परिसर का माप सिर्फ कारपेट एरिया के आधार पर होगा, (टायलेट, सीढ़ी, सामान्य क्षेत्र, दिवार, खम्भे आदि इसमें शामिल नहीं किये जायेंगे)।
3. पट्टे (लीज) की अवधि कम से कम पन्द्रह वर्ष होगी जिसमें 10 वर्ष निश्चित एवं अगले 5 वर्ष की अवधि विकल्प के रूप में होगी । बैंक के पास पूर्ण अधिकार होगा कि वह पूरा अथवा आंशिक रूप से परिसर को खाली कर मालिक को सुर्पुद कर दे भले ही लीज की अवधि समाप्त न हुई हो (लीज कारार की ड्राफ्ट, जिस के तहत अनुमति प्राप्त करके कारार करना है संलग्न है)।
4. पट्टे विलेख (लीज डीड) को बैंक तथा मकान मालिक के बीच पंजीकृत करना आवश्यक है,(लीज डीड की ड्राफ्ट कॉपी इसके साथ संलग्न है) एवं इसमे आने वाले व्यय को 50:50 के अनुपात में बैंक एवं मकान मालिक को वहन करना पडेगा।
5. प्रथम पाँच वर्ष में किराये में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। अगले 5 वर्ष के लिए बैंक के नियमानुसार किराए में वृद्धि देय होगी ।
6. मकान मालिक को लगभग 9 इंच के दिवाल, सामने रोलिंग शटर गेट, न्यूनतम 39"(साफ) खुलने वाले दरवाजे कोलाप्सियेबल गेट तथा फ्लश (FLUSH) डोर के साथ 100 वर्गफीट का एक कमरा, एटीएम हेतु बनवाना होगा। भविष्य के दिनों में बैंक यदि एटीएम लगाने का निर्णय लेता है तब मकान मालिक को एटीएम लगाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र देना होगा ।
7. मकान मालिक को केवल बैंक के विशिष्ठ विवरण के अनुसार लगभग 200 से 250 वर्ग फी का स्ट्राँग रूम बनाकर देना होगा । (विशिष्ठ विवरण की प्रति संलग्न है)
8. मकान मालिक को बैंक को आवश्यक विद्युत क्षमता (40 किलोवाट) उपलब्ध कराना होगा । विद्युत जमा या इस संबंध में की गई कोई भी खर्चा मकान मालिक को वहन करना है ।
9. परिसर में बैंक के ग्लोसाइनबोर्ड लगाने की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए ।
10. जेनेरेटर लगाने हेतु बिना किसी किराये के स्थान उपलब्ध कराना होगा ।(वैकल्पिक विद्युत सुविधा हेतु)
11. वी सैट (V-SAT) लगाने हेतु बिना किसी किराये के स्थान उपलब्ध कराना होगा ।
12. सभी प्रकार के मौजूदा कर,कर में किसी प्रकार की बढ़ोत्तरी तथा किसी प्रकार का लगाया गया कोई नया कर, सर्विस कर सहित का भुगतान केवल मकान मालिक द्वार किया जायेगा ।
13. भवन के उपर स्थितउचित क्षमता वाले जल टैंक के साथ लगातार जल आपूर्ति कि सुविधा मकान मालिक को प्रदान करना होगा ।

14. भवन का सामान्य रखरखाव के साथ, आवधिक रखरखाव (5 वर्ष में एक बार) जैंसे डिस्टेंपर/पेंटिंग आदि मकान मालिक को कराना होगा ।
15. प्रवेश द्वार को कोलैप्सिबल गेट तथा रोलिंग शटर के साथ उपलब्ध कराना होगा ।
16. सभी खिडकीयां सुरक्षा ग्रिल, मेश डोर तथा ग्लास अटल के साथ उपलब्ध कराना होगा ।
17. स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा परिसर का व्यवसायिक इस्तेमाल की अनुमति होनी चाहिए।
18. परिसर में न्यूनतम दो टायलेट होनी चाहिए जैसे एक महिला (WC सीट के साथ तथा बॉश बेसीन) तथा एक पुरूष (कम से कम बॉश बेसीन,WC सीट तथा यूरिनल के साथ)
19. मकान मालिक को बैंक कर्मचारियों तथा ग्राहको के पार्किंग के लिए पर्याप्त स्थान बिना किसी शुल्क के उपलब्ध कराना होगा ।
20. मकान मालिक को बिना किसी शुल्क के बाह्य वातानुकूल (Outdoor unit of AC) स्थापित करने हेतु स्थान उपलब्ध कराना होगा ।
21. मकान मालिक को मुख्य द्वार पर ढाल (Ramp) उपलब्ध करना होगा ।
22. परिसर का बाह्य दीवार कम से कम 9 ईच गाढा होना चाहिए ।

सभी इच्छुक व्यक्ति अपने प्रस्ताव को भवन के पूर्ण विवरण, पत्राचार का पते, दूरभाष संख्या सहित एवं वांछित किराया आदि के विवरण सहित बंद लिफाफे में प्रबंधक, केनरा बैंक, परिसर एवं संपदा अनुभाग, अंचल कार्यालय,**कौशल्या चैम्बर्स,पुराना आयकर भवन के सामने, पी पी कम्पाउन्ड,रॉची** को दिनांक 01 जून 2011 तक अवश्य भेज दें । लिफाफे के ऊपर स्पष्ट शब्दों में ____________ में स्थान का प्रस्ताव लिखा होना चाहिए । हमारे बेव साईट पर उपलब्ध या **हिन्दुस्तान/हिन्दुस्तान टाईम्स** (Hindustan/Hindustan Times) में दिनांक 22.05.2011 को प्रकाशित आवश्कता का संदर्भ दें सकते है । बैंक किसी भी प्रस्ताव को बिना कोई कारण बताए स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है ।

उप महाप्रबंधक
अंचल कार्यालय, रॉची